COURT FEE 20 Rs. भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

माननीय न्यायालय मध्य प्रदेश राजस्व मण्डल ग्वालियर कैम्प उज्जैन

प्रकरण क्रमांक /2012 निगरानी R-438-PBR/2012

C.F 27-3-12

1 विक्रमसिंह पिता सिद्धनाथ, आयु 56 वर्ष, धंधा कृषि

2 कमलसिंह पिता विक्रमसिंह, आयु 30 वर्ष, धंधा कृषि, दोनों निवासीगण– ग्राम मालनवासा तहसील व जिला उज्जैन --- प्रार्थीगण

विरूद्ध

1 श्रीमती संगीता पति ओमसिंह, आयु 35 वर्ष, जाति आंजना, धंधा गृहकार्य, निवासी ग्राम बोरखेड़ी तहसील घट्टिया जिला उज्जैन – द्वारा मुख्त्यार आम गोपाल पिता स्व. कन्हैयादासजी बैरागी, आयु 46 वर्ष, निवासी ग्राम मालनवासा तहसील व जिला उज्जैन म.प्र.

2 जितेन्द्र आत्मज रामेश्वर जाति आंजना, आयु 32वर्ष, लगभग निवासी ग्राम गोयला खुर्द तहसील व जिला उज्जैन म.प्र.

3 सुगनबाई पति स्व. रामेश्वरजी, आयु 58 वर्ष, निवासी– ग्राम गोयला खुर्द तहसील व जिला उज्जैन म.प्र.

4 पिंकी पति अयज आंजना, आयु 21 वर्ष, निवासी– ग्राम सोड़ंग तहसील घट्टिया जिला उज्जैन म.प्र. --- प्रतिप्रार्थीगण

श्री संदेश परिहार अभिभाषक द्वारा आज दिनांक 22-2-12 को उज्जैन कैम्प पर प्रस्तुत

22-2-12

23-2-12

विषय :– **न्यायालय अपर राजस्व आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन द्वारा प्रकरण क्रमांक 305/2010–11 अपील में न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी जिला उज्जैन द्वारा प्रकरण क्रमांक 40/अपील/09–10 में पारित आदेश दिनांक 24–1–11 को निरस्त करते हुए पारित आदेश दिनांक 30–1–2012 के विरूद्ध धारा 50 म.प्र. भू–राजस्व संहिता 1959 के अंतर्गत निगरानी –**

माननीय महोदय,

प्रार्थीगण द्वारा निम्नलिखित निगरानी सादर प्रस्तुत है :–

Adv.

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-438-पीबीआर/12 **जिला** - उज्जैन

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
11/9/18	प्रकरण का अवलोकन किया एवं उभयपक्षों द्वारा राजीनामा के आधार पर प्रकरण का निराकरण किए जाने संबंधी प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया। चूंकि उभयपक्षों के मध्य राजीनामा हो चुका है। ऐसी स्थिति में इस प्रकरण को आगे चलाए रखने का कोई औचित्य नहीं है। अतः यह निगरानी इसी स्तर पर समाप्त की जाती है। पक्षकार सूचित हों, अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख वापिस हो। **प्रशासकीय सदस्य**	